संख्या-216/2018/59वी0आई0पी0/26-3-2018-04(11)/2016

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 17 अक्टूबर 2018

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद-बस्ती में अतिपिछडे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में एकीकृत विकास योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण का पत्रांक सी-2657/स0क0/विकास/एकीकृत/2017-18, दिनांक-24.03.2018 एवं शासनादेश संख्या-92/2018/922/26-3-2018-4(11)/2016 दिनांक-29.03.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना में जनपद-बस्ती के विकास खण्ड-सल्टौआ के ग्राम कठौलीखास में इन्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य हेतु कुल लागत रू0-197.56 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0-98.56 लाख (रू0 अटठानबे लाख छप्पन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1)-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था ''प्रोजेक्ट मैनेजर, यू0पी0प्रोजेक्ट कारपोरेशन यूनिट-11 फैजाबाद'' से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराकर तत्काल धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी, जिसका अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायोगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2)-स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसके लिए संबंधित कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक उत्तरदायी होंगे।

(3)-स्वीकृत धनराशि से आनुपातिक रूप में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त महाप्रबन्धक/जिलाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर फोटोग्राफ्स की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हस्ताक्षरित/प्रमाणित प्रति शासन/निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4)-संबंधित जिलाधिकारी द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(5)-उक्त निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा महाप्रबन्धक/जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6)-स्वीकृत की जा रही धनराशि को प्रश्नगत परियोजनाओं के कार्य आरम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी योजना के अन्तर्गत न हुआ हो और किसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत/प्रस्तावित न हो।

(7)-कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन की यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य''के नामे डाला जायेगा

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सतीश कुमार
अनुसचिव।

पृ0संख्या-216/2018/59वी0आई0पी0(1)/26-3-2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2.जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, बस्ती
3.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4.वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
5.प्रोजेक्ट मैनेजर, ''यू0पी0प्रोजेक्ट कारपोरेशन यूनिट-11 फैजाबाद।
6.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
8.गार्डफाइल।

आज्ञा से,
सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in